

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:—नर्सिंग / म.स्वा.का. / 28347 / 2025 /

दिनांक:—

आदेश

श्रीमति सीमा सागर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कामां जिला डीग को उनकी स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 02.10.2021 से दिनांक 21.11.2021 तक कुल 51 दिवस का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD/Rules/2006-I दिनांक 25.10.2019 एवं दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक अवकाश उपभोग पर असाधारण अवकाश की सीमा तक (कुल 51 दिवस) कार्मिका के परीवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवंस्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग / म.स्वा.का. / 28347 / 2025 / ५५

दिनांक:— १५-०२-२०२५

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा (ग्रुप-3) स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग।
4. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश / निजीपत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवंस्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

Signature valid



Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2025.02.15 16:39:05 IST
Reason: Approved